न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 266 सन 2020

अनवान :–

1. नत्थुराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन 12 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. कृष्णादेवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट साकिन चक 16 केएनएन तहसील नोहर।
3. गजानन्द पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन चक 16 केएनएन तहसील नोहर

तरतीयी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 77/80 की कुल 4.5540हैक एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 116/11 की कुल 8.0960हैक दोनो खातो में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता एवं प्रतिवादीया संख्या 2 के पति सोहनलाल पुत्र बुधाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जो सयुक्त परिवार के सदस्य हे वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम आज से करीब 10 साल पहले रिश्तेदारी में मिलने का कह कर गये थे जो आज तक वापस नही आये है जिनकी काफी तलाश की गई किन्तु वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम का कही पर भी कोई पता नही चला पुलिस थाना नोहर में भी सुचना दी गई किन्तु वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम का आज तक कोई पता नही चला है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता का कही पता नही चलने पर वादी ने अपने पिता की सिविल मृत्यू धोषित करवाने के लिये सिविल न्यायालय में वाद पेश किया गया माननीय सिविल न्यायालय ने दिनांक 18.02.2020 को निर्णय पारित किया जाकर वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम की मृत्यू होना धोषित किया जा चुका है।

वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम की सिविल मृत्यू हो चुकी हे जिसके कारण वादी के नाम से दर्ज कृषि भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 विरास्तन से अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम के नाम दर्ज रहने से वादी के खातेदारी हकों का हनन होता है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की सोहनलाल पुत्र बुधराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ,3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज है जो आज से करीब 10 साल पूर्व घर से रिश्तेदारी में मिलने का कहकर गये थे आज तक वापस नही आये है ना ही परिवार रिश्तेदारा एवं जान पहचान के लोगो ने सोहनलाल को कही पर देखा है पुलिस थाना में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई गई किन्तु सोहनलाल का कोई अता पता नही चला है वादी के पिता सोहनलाल की मृत्यू होना धोषित करवाने के लिये सिविल न्यायालय मे वाद पेश किया गया था माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.02.2020 को सोहनलाल की मृत्यू होना धोषित किया जा चुका है वादी के पिता सोहनलाल की मृत्यू धोषित होने के कारण सोहनलाल के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में किसी प्रकार का विरोध पेश नही होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा वक 10 केएनएन के खाता संख्या 77/80 की कुल 4.5540हैक एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 116/11 की कुल 8.0960हैक दोनो खातो में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता एवं प्रतिवादीया संख्या 2 के पति सोहनलाल पुत्र बुधाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जो सयुक्त परिवार के सदस्य हे वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम आज से करीब 10 साल पहले रिश्तेदारी में मिलने का कह कर गये थे जो आज तक वापस नही आये है जिनकी काफी तलाश की गई किन्तु वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम का कही पर भी कोई पता नही चला पुलिस थाना नोहर में भी सुचना दी गई किन्तु वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम का आज तक कोई पता नही चला है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता का कही पता नही चलने पर वादी ने अपने पिता की सिविल मृत्यू धोषित करवाने के लिये सिविल न्यायालय में वाद पेश किया गया माननीय सिविल न्यायालय ने दिनांक 18.02.2020 को निर्णय पारित किया जाकर वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम की मृत्यू होना धोषित किया जा चुका है।

वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम की सिविल मृत्यू हो चुकी हे जिसके कारण वादी के नाम से दर्ज कृषि भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 विरास्तन से अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा वक 10 केएनएन के खाता संख्या 77/80 की कुल 4.5540हैक एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 116/11 की कुल 8.0960हैक दोनो खातो में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि सोहनलाल पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि उसके पिता सोहनलाल आज से 10 साल पूर्व घर से निकले थे जो आज तक काफी खोजबीन करने पुलिस थाना में गुमशुद्दी दर्ज करवाने के उपरान्त भी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

कोई अता पता नही चला है अर्थात उसके पिता की मृत्यू (सिविल डैथ) हो चुकी है इसलिये उसके पिता के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 दोनो ही हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.02.2020 की पेश की गई है।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी ने एक वाद माननीय सिविल न्यायधीश नोहर में अनवानी नत्थुराम बनाम सरकार इस आश्य का पेश किया गया था की वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधराम की मृत्यू हो चुकी हे की धोषणा की जावे माननीय सिविल न्यायालय नोहर ने दिनांक 18.02.2020 को निर्णय पारित किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर धोषि की जा चुकी है सोहनलाल पुत्र बुधराम की मृत्यू हो चुकी है।

माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.02.2020 के द्वारा सोहनलाल पुत्र बुधराम की मृत्यु होना धोषित होने के बाद सोहनलाल पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज कृषि भूमि सोहनलाल पुत्र बुधराम विरास्तन से अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

इसप्रकार सोहनलाल पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज भूमि सोहनलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी छे

उक्त कथनों के सम्बध में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को भी किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की सहमति है।वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाचिक दृष्टान्त एआईआर प्रकरण पर चस्पा होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वाद वादी को प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा वक 10 केएनएन के खाता संख्या 77/80 की कुल 4.5540हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 116/11 की कुल 8.0960हैक मे से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधाराम के नाम सें दर्ज है सोहनलाल पुत्र बुधराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनों को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. नत्थुराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन 12 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. कृष्णादेवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट साकिन चक 16 केएनएन तहसील नोहर।
3. गजानन्द पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन चक 16 केएनएन तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 266 सन 2020 निर्णय दिनांक– 29/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा वक 10 केएनएन के खाता संख्या 77/80 की कुल 4.5540हैक में से 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 116/11 की कुल 8.0960हैक मे से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता सोहनलाल पुत्र बुधाराम के नाम सें दर्ज है सोहनलाल पुत्र बुधराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनों को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner